संख्या-424/2023/1444/22-2-2023-17(366)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री पीतम, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री पीतम, कलन्जरी, थाना-जानी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक-14-06-2003 को वादी का पुत्र महेश व बहन राजकुमारी खेत से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में अभियुक्त गण ने राजकुमारी से छेड़छाड़ की, भाई महेश द्वारा विरोध करने पर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर महेश की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57, 58 /2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25(1-बी)(ए) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-17, मेरठ के आदेश दिनांक 22.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त अन्य अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने के कारण सामाजिक एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दवारा दिनांक 12-07-2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की तथा सपरिहार 21 वर्ष 10 माह 25 दिन की सजा, जेल आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र श्री पीतम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक (बन्दी संख्या-15730) पुत्र श्री पीतम, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-424/2023/1444(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-338/2022 मनोज यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 एवं दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-424/2023/1444/22-2-2023-17(366)/2023

दिनांक 26 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री पीतम, कलन्जरी, थाना-जानी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक-14-06-2003 को वादी का पुत्र महेश व बहन राजकुमारी खेत से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में अभियुक्त गण ने राजकुमारी से छेड़छाड़ की, भाई महेश द्वारा विरोध करने पर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर महेश की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57, 58 /2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25(1-बी)(ए) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-17, मेरठ के आदेश दिनांक 22.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त अन्य अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने के कारण सामाजिक एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दवारा दिनांक 12-07-2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की तथा सपरिहार 21 वर्ष 10 माह 25 दिन की सजा, जेल आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र श्री पीतम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।